न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :—स्वाति गुप्ता आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—069/2017

1. मुखत्यारसिंह पुत्र साधूराम जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। — — प्रार्थी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र मलूराम जाति कुम्हार निवासी 4 के.एच.आर. खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. श्रीचन्द पुत्र मलूराम जाति कुम्हार निवासी 4 के.एच.आर. खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. मखनसिंह पुत्र केहरसिंह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी। — — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

उपस्थित अभिभाषकगण:—

1. श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री नरेन्द्रपाल वर्मा — अप्रार्थी 1

निर्णय

दिनांक :—30.08.2024

प्रार्थी मुखत्यार सिंह ने अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में पेश किया है कि चक नम्बर 6 के.एच.आर. के जमाबन्दी संवत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 135/114 में कुल 6.325 हैक्टर आराजी में जरिये इन्तकाल दिनांक 17.05.2017 में प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयो के नाम से 1/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी व इन्त[illegible] प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:45:37 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक [illegible] संख्या 2073 ता 76 के खाता संख्या 57/41 में पत्थर नम्बर 229/21[illegible]) किला नम्बर 24, 25, [illegible] नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 5/1/0.185 हैक्टर कुल 0.691 हैक्टर तथा अप्रार्थी संख्या 2 श्रीचन्द के नाम से चक नम्बर 6 के.एच.आर. के खाता संख्या 126/195 में

Scanned with CamScanner

पत्थर नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 2/2/0.139 हैक्टर, 3, 4, 5/2/0.068 हैक्टर कुल 0.713 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थी को अपनी आराजी चक नम्बर 6 के.एच.आर. में स्थित अपनी आराजी में प्रवेश करने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है जिसकी वजह से प्रार्थी को अपनी आराजी काश्त करने, सिचाई करने तथा जुताई करने में काफी परेशानी होती है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी चक नम्बर 6 के.एच.आर. पत्थर नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 5/1/0.185 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम की पत्थर नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 5/2/0.068 हैक्टर की भूमि में से होकर अपनी भूमि मे प्रवेश करता है, उक्त रास्ता मौका पर चालु है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण संख्या 1 की भूमि चक नम्बर 6 के.एच.आर. पत्थर नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 5/1/0.185 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम की पत्थर नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 5/2/0.068 हैक्टर में पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण एक बिश्वा चौडा व दोनो अप्रार्थीगण की भूमि मिलाकर एक बीधा लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। उक्त रास्ता मौका पर चल रहा है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रास्ता स्वीकृत नही होने से प्रार्थी को काफी परेशानी होती है, व उक्त अप्रार्थी कभी भी चालु रास्ता को बन्द कर सकते है । इसलिए प्रार्थी दफा हाजा में वर्णित चालु रास्ता को मन्जूर करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन करवाने का अनुतोष चाहा है।

प्रार्थी, अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की भूमि किला नम्बर 5 मे से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करता है लेकिन अप्रार्थीगण अपनी भूमि में उक्त चालु रास्ता को बन्द करने व उक्त रास्ता को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को ऐलानियॉ धमकी दे रहे है कि हमउ क्त चालु रास्ता को नष्ट कर देगे व इस रास्ता से तुझे अपनी कृषि भूमि में आवागमन नही करने देगे, अगर अप्रार्थीगण अपनी इस गलत व विधि विरूद्ध मन्शा मे कामयाब हो गये तो मुझ प्रार्थी को अपरिमेय क्षति होगी व प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आवागमन करने तथा कृशि उपकरण लाने ले जाने से तथा अपनी कृषि भूमि काश्त करने से वंचित हो जावेगा जिससे प्रार्थी भूमि में काश्त नही होने से भूमि बंजर हो जावेगी। इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई व्यादेश प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। इसलिए स्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय का जारी किया जावे कि अप्रार्थीगण संख्या 1 अपनी भूमि चक नम्बर 6 के.एच.आर. पत्थर नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 5/1/0.185 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 2 अपनी भूमि चक नम्बर 6 के.एच.आर. पत्थर नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 5/2/0.068 हैक्टर में पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण एक बिश्वा चौडा व दोनो अप्रार्थीगण की भूमि मिलाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:45:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

एक बीघा लम्बे चालु रास्ता को किसी प्रकार से नष्ट करने, खुर्द बुर्द करने तथा प्रार्थी के आवागमन में किसी प्रकार का व्यवधान कारित करने से निषेद्घ रहे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक नम्बर 6 के.एच.आर. पत्थर नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 5/1/0.185 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम की पत्थर नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 5/2/0.068 हैक्टर में पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण एक बिश्वा चौड़ा व दोनो अप्रार्थीगण की भूमि मिलाकर एक बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन करने के आदेश फरमावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना--पत्र पेश होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 पेश किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र के शीर्षक में मखनसिंह पुत्र केहरसिंह को बतौर अप्रार्थी संख्या 3 संयोजित किया गया। पत्रावली प्रस्तुत होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 के नाम की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 के जवाब की आवश्यकता नही होने के कारण जवाब अप्रार्थी संख्या 2 बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के नाम से कृषि भूमि दर्ज होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज होना स्वीकार है व इसके अलावा मुझ अप्रार्थी की भूमि भी चक नम्बर 6 के.एच. आर. में स्थित है। मुझ अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो स्वीकार होने पर मुझ अप्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 4 के रूप मे प्रार्थना पत्र में संयोजित किया गया है। मुझ अप्रार्थी संख्या 4 की चक 6 के.एच.आर. में कृषि भूमि स्थित है । अप्रार्थी संख्या 1 की कृशि भूमि चक नम्बर 6 के.एच.आर. के पत्थर नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 5/1/0.185 हैक्टर व अप्रार्थीसंख्या 2 के नाम की पत्थर नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 5/2/0.068 हैक्टर में पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण में पिछले करीब [illegible] से रास्ता चालू है तथा मौका पर भी उक्त रास्ता चालु है । उपरोक्त रास्ता के सम्बन्ध में तहसीलदार राजस्व टिब्बी व पटवारी द्वारा मौका भी देखा हुआ है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मुझ अप्रार्थी संख्या 4 की कृषि भूमि चक 6 के.एच.आर. पत्थर नम्बर 230/213(27) किला नम्बर 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:45:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

से रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए मुझे अप्रार्थी बनाया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि पत्थर नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 5 में पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण रास्ता चालू है। इस चालू रास्ता के अलावा मुख्त्यारसिंह को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है व किला नम्बर 5 में यह सरकारी आम मुख्य पथ रास्ता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक नम्बर 6 के.एच.आर. के पत्थर नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 5 में पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण चालू रास्ता को मन्जूर कर राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 रिकॉर्ड से सम्बन्धित है, मुताबिक रिकॉर्ड प्रार्थी मुख्त्यारसिंह के अलावा अन्य सहकाश्तकार भी संयुक्त खाता में खातेदार काश्तकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि का अंकन है जो रिकॉर्ड से सम्बन्धित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में यह कथन कि प्रार्थी को अपनी आराजी चक नम्बर 6 के.एच.आर. में स्थित आराजी में प्रवेश करने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है जिसकी वजह से प्रार्थी को अपनी आराजी काश्त करने, सिंचाई करने व जुताई करने में काफी परेशानी होती है, कतई गलत व मिथ्या अंकित किया गया है एवम् प्रार्थी का यह कथन कि प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी चक नम्बर 6 के.एच. आर. पत्थर नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 5/1/0.185 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम की पत्थर नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 5/2/0.068 की भूमि में से होकर अपनी भूमि मे प्रवेश करता है, उक्त तथ्य कतई गलत व मिथ्या अंकित किया गया है। उक्त किला नम्बर 5 में से कोई रास्ता मौका पर चालू नहीं है व ना ही कभी अप्रार्थी उक्त किला मे से होकर अपनी कृषि भूमि में से प्रवेश किया है तथा प्रार्थी का यह कथन कि इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक नम्बर 6 के.एच.आर. पत्थर नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 5/1/0.185 व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम की पत्थर नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 5/2/0.068 हैक्टर में पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण में एक बिस्वा चौड़ा व दोनो अप्रार्थीगण की भूमि मिलाकर एक बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है, कतई गलत व मिथ्या है [illegible] कभी भी मौका पर चालू नहीं रहा है इसलिए प्रार्थी का यह [illegible] भी चालू रास्ता को बन्द कर सकते है, कतई गलत व मिथ्या है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:45:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में यह कथन कि प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि किला नम्बर 5 में से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करता है लेकिन अप्रार्थीगण को उक्त चालू रास्ता को बन्द करने व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को

Scanned with CamScanner

दिनांक 24.04.2019 मुकर्रर है एवं उक्त प्रकरण में [illegible]

[illegible] आदेश दिया हुआ है।

प्रार्थी मुखत्यारसिंह द्वारा जिस कृषि भूमि हेतु रास्ता की मांग की गई है [illegible] [illegible] खाता की कृषि भूमि है एवं प्रार्थी मुखत्यारसिंह [illegible] के पास चक नम्बर 6 के.एच.आर. [illegible] अंकित नहीं किया गया है कि प्रार्थी के पास [illegible] नम्बर के [illegible] किले कब्जा काश्त में है। रास्ता स्वीकृति हेतु [illegible] आवश्यक है कि जो व्यक्ति रास्ता स्वीकृत करवाना चाह रहा है वह [illegible] भूमि का उल्लेख करेगा कि मेरे कब्जा काश्त में [illegible] [illegible] किला नम्बर मेरे कब्जा काश्त में है। चक नम्बर 6 के.एच.आर. के [illegible] 35/114 में कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि के लिए [illegible] रास्ता स्वीकृति हेतु प्रस्तुत [illegible]सिंह द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. [illegible] [illegible] किया गया है मिठूसिंह द्वारा मखनसिंह पुत्र केहर सिंह [illegible] की कृषि भूमि चक नम्बर 6 के.एच.आर. के पत्थर नम्बर 230/213(26) किला नम्बर 2 [illegible] पश्चिम दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण रास्ता की मांग की गई है। [illegible] [illegible] 6.325 हैक्टर कृषि भूमि मे रास्ता के लिए अलग अलग दो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible] हुए है. फोटो प्रति प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. संलग्न है। प्रार्थी ने जिस कृषि भूमि के लिए रास्ता की मॉग की गई है वह भूमि विवादित कृषि भूमि है [illegible] विवादित कृषि भूमि के लिए रास्ता की मॉग नही की जा सकती है। प्रार्थी व अन्य सहकाश्तकार चक नम्बर 6 के.एच.आर. के पत्थर नम्बर 230/213(27) किला नम्बर 2 के पश्चिम दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण रास्ता से होकर अपनी कृषि भूमि मे प्रवेश करते हैं न कि हम प्रार्थी (अप्रार्थी) की कृषि भूमि से होकर। प्रार्थी मुखत्यारसिंह द्वारा जान बुझकर हम अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के आशय से गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। क्योंकि प्रार्थी मुखत्यारसिंह के परिवार के ही व्यक्ति मखनसिंह पुत्र केहरसिंह की कृशि भूमि प्रार्थी मुखत्यारसिंह के चिपती है इसलिए मुखत्यारसिंह को मखनसिंह पुत्र केहरसिंह की कृषि भूमि मे से रास्ता की मांग करनी चाहिए एवं मखनसिंह की कृषि भूमि मे से होकर ही प्रार्थी मुखत्यारसिंह अपनी कृषि भूमि मे आवागमन करते है एवं मुखत्यारसिंह [illegible] सबसे नजदीकी रास्ता है। अतः प्रार्थी प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया [illegible] तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:45:37 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दीयों व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि कि प्रार्थी की कृषि भूमि को कोई गैर मुमकिन

Scanned with CamScanner

रास्ता नही लगता है एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम रास्ता है एवं मौके पर चालू है। अतः वर्तमान परिस्थिति में रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव के मद्देनजर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी एवं अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद प्रार्थना--पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 देवीलाल की कृषि भूमि चक नम्बर 6 के.एच. आर पत्थर नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 5/1/0.185 हैक्टर व 5/2/0.068 हैक्टर में पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण एक बिश्वा चौडा व एक बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जावे। रास्ते में आई भूमि के बदले उतनी ही प्रार्थी मुखत्यार सिंह की कृषि भूमि चक 6 के. एच.आर. पत्थर नम्बर 229/213(26) किला नम्बर 6 में से उतर से दक्षिण, पश्चिमी दिशा की तरफ अप्रार्थी संख्या 1 देवीलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर चक नम्बर 6 के.एच.आर. के खाता संख्या 11/135 में से प्रार्थी मुखत्यार सिंह एवं सहकाश्तकारान का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक **30.08.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:45:37 IST
Reason: SelfAttested

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner